न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 34/2016/अपील

सांवलराम पुत्र श्योकरण जाति माली निवासी ढ़ाणी मोरवाली तन मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर
2 रामलाल पुत्र श्योकरण जाति माली निवासी ढ़ाणी मोरवाली तन मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.02.2016 मु.न. 298/2016 अनुवानी सरकार बनाम सांवलराम द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय **दिनांकः—05.11.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि विवादित सरकारी आराजी खसरा नम्बर 1067/1 रकबा 30.05 हैक्टर तन ग्राम मावन्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसमें से 0.25 हैक्टर भूमि पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 का कब्जा करीब 30 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है, जिस पर उन्होने पुख्ता मकानात, बाडा, गोबर की कुड़ी व छानी का झुपा व ईधन आदि डाल रखा है व चारो तरफ पत्थरों की बाड़ छड़िया लगाकर कर रखी है। उक्त कब्जे के सम्बन्ध में न्यायालय नायब तहसीलदार नीमकाथाना ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को एक जोईन्ट नोटिस वास्ते तारीख पेशी दिनांक 18.02.2016 के लिए दिया, जिसकी अपीलाण्ट पर कोई तामिल नही हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के कहने के अनुसार अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दिनांक 18.02.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में जवाब नोटिस पेश किया व योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.02.2016 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कोई आगामी तारीख पेशी नही बताई और मौका देखकर मौके पर फैसला करने बाबत कहा। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कई दिनो तक नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मौके पर आने की प्रतिक्षा की तथा दिनांक 18.04.2016 को अपीलान्ट अपने वकील से मिला तो उसने जानकारी करकें बताया कि मुकदमें का फैसला दिनांक 18.02.2016 को ही हो चुका है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में उनका कब्जा नियमन होने योग्य होते हुये दिनांक 18.02.2016 का विरूद्ध कानून निर्णय पारित करते हुये बेदखली का आदेश पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को नियमानुसार न तो नोटिस दिया और न उसे अपना सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिया, बल्कि समस्त कार्यवाही एकतरफा करकें अपना निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 विवादित आराजी खसरा नम्बर 1067/1 सरकारी भूमि तन मावन्डा खुर्द पर करीब 30 वर्षो से भी अधिक

समय से चारो तरफ पत्थरो की बाड व छडिया लगाकर काबिज है और रिहायश करते चले आ रहे है। उक्त भूमि पर पुख्ता आवासीय मकानात, बाडा, गोबर की कुरडी छानी का झुपा व ईधन आदि डाल रखे है अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आवासीय मकानो की विवादित भूमि खसरा नम्बर 1067/1 मे बहुत सारे परिवार आबाद है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 रामलाल के विरूद्ध जोईन्ट नोटिस जारी किया है तथा अलग अलग नोटिस जारी नही किए है। जोईन्ट नोटिस नियमानुसार नोटिस की परिभाषा में नही आता है। उक्त नोटिस पर अपीलान्ट की कोई तामिल नही हुई है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.02.2016 को अपीलांट व रेस्पो. संख्या 2 को मौके पर आकर मौका देखकर निर्णय करने हेतु फरमाया था व कब्जा नियमन होने योग्य पाये जाने पर उनके हक में नियमन कर दिया जावेगा परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न तो स्वयं मौके पर आये और न आगामी तारीख पेशी की सूचना दी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित जैर अपील निर्णय दिनांक 18.02.2016 निरस्त किया जाकर विवादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हक में नियमन किए जाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित आया एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब को रिकार्ड पर लिया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम मावण्डा खुर्द के खसरा नम्बर 1067/1 रकबा 30.09 है0 किस्म गै.मु.डूंगरी में से 0.25 है0 पर पुख्ता मकान, पत्थर, छड़ी, गोबर की कुरड़ी डालकर व चारा का झुंपा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है, जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमित भूमि की किस्म गै.मु.डूंगरी है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः गै.मु.डूंगरी की भूमि पर अपलांट द्वारा पुख्ता मकान, पत्थर, छड़ी, गोबर की कुरड़ी डालकर एवं चारा का झुंपा बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 18.02.2016 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति॰ जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.05 18:18:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: